PUNE RESEARCH WORLD ISSN 2455-359X
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES VOL 4, ISSUE 1

आदिवासी समाजों की पंच रचना एवं कार्यो

डॉ. बी. एल. पवार
आसि. प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
विजयनगर आर्ट्स कॉलेज,
जि॰ साबरकांठा-३८३४६०
(गुजरात) भारत

(१) प्रस्तावना :

प्रारंभ से आदिवासी लोग दूर-दुर्गम झाड़ियों, जंगलों, पहाडों, नदी, तालाब आदि के नजदीक कुदरत के सानिध्य में बसते आये हैं । गुजरात के पूर्वी क्षेत्र याने बनासकांठा के दांता से लेकर दक्षिण गुजरात के डांग, बलसारा-कपराडा तक क्षेत्र को आदिवासी विस्तार (झोन) के नाम से पहचाना जाता है । इन क्षेत्र में गुजरात की प्रमुख २९ जनजातियाँ स्थित है । विस्तार के अधिन इन जातियों में भिन्नता पाई जाती है, जैसे उनकी भाषा-बोली, खान-पान, रहन-सहन, वेषभूषा, व्यवहार-संबंध आदि ।

प्रस्तुत अभ्यास डांग जिल्ले के ३०९ गाँवों और इनके ३ तहसील क्षेत्रों में बसे आदिवासी जातियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन है । २०११ की जनगणना के अनुसार ९४.६५ प्रतिशत जन संख्या आदिवासी है । इसलिए समग्र डांग प्रदेश आदिवासी प्रदेश के नाम से जाना जाता है । सामान्यत: ' डांग ' शब्द का अर्थ 'जंगल की लकड़ी ' लिया जाता है । यहाँ घने जंगल होने के कारण शायद यह नाम दिया होगा । दूसरी मान्यता यह है की, यहाँ की बोली डांगी इसलिए ये नाम दिया होगा । गुजरात राज्य के दक्षिण स्थित और गुजरात - महाराष्ट्र राज्य के सीमा-सरहद के अंतिम और छोटे जिल्ले के रूप में डांग कुदरती वन-संपदाओं से भरा-पड़ा हुआ है ।

प्रत्येक आदिवासी गाँवों में उद्‌द्भव से पंच की व्यवस्था चलती आ रही है । यह कोई विशिष्ट जाति पंच की स्वतंत्र रचना नहीं होती । क्योंकि महत्तम आदिवासी गाँवों में मिश्रित जातियाँ एक साथ बसती आ रही हैं, इसलिए समस्त गाँवों में ग्राम पंच की व्यवस्था की गई होती है । इस पंच की रचना कैसे की जाती है, इसकी कार्य-पद्धति क्या होती है, इसकी न्यायप्रणाली व्यवस्था किस स्वरूप में विकसित हुई है आदि का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जो निम्नांकित है ।

(२) अभ्यास-क्षेत्र एवं शोध-प्रविधियाँ :

प्रस्तुत अभ्यास में गुजरात के डांग जिले के ३०९ गाँवों और इनके तीन तहसील क्षेत्रों में बसे आदिवासी जातियों के गाँवों की ग्राम पंच रचना का अभ्यास करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत अभ्यास में समाज विज्ञानों में उपयोग की जानेवाली सर्वेक्षण, अवलोकन, मुलाक़ात अनुसूचि, व्यक्ति तपास, माहिती आधार स्वरूप प्राथमिक और द्‌वितीय स्रोत का उपयोग किया गया है ।

(३) नियुक्त आदिवासी ग्राम पंच के सदस्यों का वर्गीकरण :

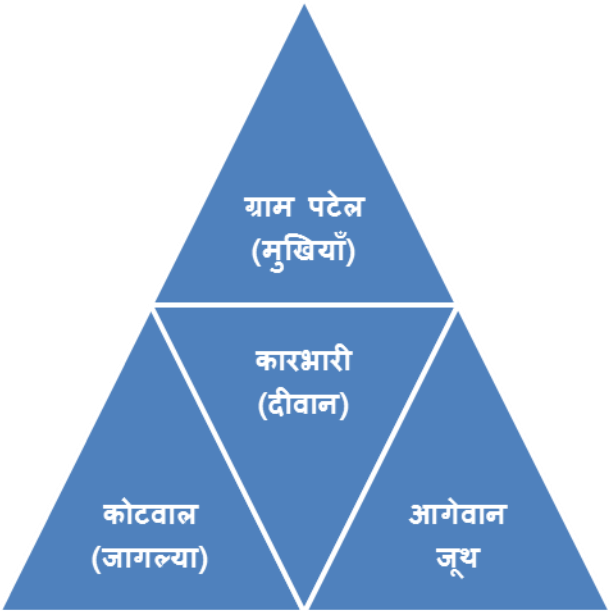

उपर्युक्त पिरामिड आदिवासी ग्रामपंच के नियुक्त सददस्य की रचनाएँ बता रही है । इस तरह डांग जिल्ले के प्रत्येक आदिवासी गाँवो में ग्रामपंच की रचना की गई होती है । यह संगठन के नियुक्त सददस्यों की कार्य, भूमिकाएँ , जिम्मेदारियाँ क्या होती है , गाँव में अपना क्या योगदान होता है का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जो निम्नांकित है ।

(१) ग्राम पटेल (मुखिया) :

ग्राम पटेल पूरे गाँव का मुखिया होता है । आज वे पुलिस पटेल के नाम से जाना जाता है । जिले के शायद सभी गाँवो में कुनबी, वारली, भील ये सभी जातियाँ एकसाथ गाँव में बस रही हैं । कुछ ऐसे भी गाँव हैं, जहां सिर्फ वारली या भील तो कहीं वारली-भील एक साथ गाँव बनाकर बसते आ रहे है, इन गाँवों में इनकी जाति के ही मुखिया बनते है । इन सभी जातियों में कुनबी-कुकणा जाति ऊँची जाति मानी जाती है । वह आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पहलुओं में आगे है । इन सभी कारणों से इस जाति परिवार के सद्स्य को मुखिया का पद-दरज्जा दिया जाता था, लेकिन आज बदलते समय में और पीढ़ियों तक साथ-साथ रहते हुए कहीं-कहीं भील या वारली जाति के किसी व्यकित को यह स्थान मिल सकता है । यह पद वंशानुगत नहीं होता है, पर खास बात यह है कि पीढ़ियों से यही स्थान पर कुनबी जाति के लोग पद-भार संभालने के कारण उन्हीं को प्रधानता दी जाती है । धन, पद, आर्थिक स्थिति संतोषपूर्ण होने के कारण मुखिया की स्थित सर्वोपरि एवं प्रभावशाली रहती है । गाँव के समस्त समारोहों में उसे सम्मान मिलता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का निपटारा भी करता है । गाँव की सभी जिम्मेदारियाँ उनके दायरे में रहती है । उसका निर्णय सर्वसमान्य होता है । किन्तु यह निर्णय वह स्वयं नहीं लेता, वरन पंचायत की सलाह पर लेता है । जैसे सालभर में होनेवाले धार्मिक त्यौहारों का आयोजन, शादी-ब्याह, झगड़ा, फारगती (छूटाछेड़ा), ग्राम देव-देवियों की पूजा-अर्चना आदि कार्यो में मुखिया की भूमिका प्रमुख बनी रहती है ।

शादी-ब्याह में बारात के साथ ग्राम पंच को भी न्यौता दिया जाता है । अर्थात दोनों पक्षों की हाजिरी में ही सगाई या शादी की बात तय होती है । क्योंकि भविष्य में दाम्पत्य जीवन में ज़िम्मेदारी बनती है | आधुनिक दीवानी कोर्ट-कचहरी, कायदा -कानून ये नये

जमाने का नया दस्तूर है । पहले कोई भी मुशीबत, संकट, संघर्ष आदि का फैसला पंच के बिना नहीं हो सकता था । आदिवासी समाजों में कहावत है कि " पंच ही परमेश्वर होता है " इस उक्ति से आज भी कोई भी समस्या का समाधान पहले पंच से होता है, बाद में कोर्ट-कचहरी का सहारा लिया जाता है । दोषी व वादी सभी को बुलाया जाता है, समस्या की जडें, इनके कारण सभी प्रश्नो की जांच की जाती है, फैसला किसी का विशेष पक्ष लेकर नहीं किया जाता । मसला दो-चार घंटे या दो दिन तक ही चलाया जाता है । दोषी या दोनों पक्षों को दंडित किया जाता है, वे दंड की रकम गाँव के कोई समारोह में उपयोग करते है ।

आधुनिक युग में दीवानी कोर्ट-कचहरी के कारण पंच की सत्ता कमजोर होती जा रही है, बल्कि बंध नहीं हुई । आज भी पंच की सत्ता व भूमिकाएँ बरकरार चलती आ रही है ।

(२) कारभारी (दीवान) :

आदिवासी ग्राम संगठन में दूसरा स्थान कारभारी का है । वे मुखिया की अनुपस्थिति में अपनी कार्य-भूमिका निभाते है । परंतु यह प्रसंग अपवादरूप होता है । मुखिया व आगेवान जूथ की गैर मौजूदगी में वे अकेले में निर्णय नहीं ले पाते । सभी की मौजूदगी में साथ मिलकर गाँव की भलाई का फैसला करते हैं । खास तौर पर ग्राम देवों की पूजा के लिए होनेवाले खर्च का इंतजाम, इनका हिसाब-किताब रखने की ज़िम्मेदारी वह संभालते है । मुखिया की तरह हर समारोह में उनकी भूमिका आवश्यक होने के कारण उन्हें भी सम्मान मिलता है ।

(३) कोटवाल (जागल्या) :

आदिवासी ग्राम पंच के तीसरे पायदान पर कोटवाल (जागल्या) का स्थान है । पहरेदार की तरह उनकी कार्य-भूमिका सराहनीय होती है । उनका कार्य किसी कार्य हेतु गाँव के लोगों को इकट्ठा करना, किसी बात की जानकारी देना, शादी-ब्याह में संदेशा ले जाना, गाँव की रक्षा हेतु पूजा की गई सामग्री देवी के स्थानक तक पहुँचाना आदि ज़िम्मेदारी निभाने का काम वह करता है । इनके काम की कदर करते हुए साल में एकबार परिवार दीठ पंचने लागू किया हुया धन-धान्य का कुछ हिस्सा दिया जाता है । मुखिया के आदेशानुसार माताजी की

बोवाला विधि, चालू खेती-फसल में एक दिन की छुट्टी, परिवारों से चन्दे इकठा करने का कार्य वह करता है ।

(४) आगेवान जूथ :

सामान्यत: आगेवान जूथ में बुजुर्गों को समाहित किए जाते हैं । युवान, बच्चे या महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता । क्योंकि गाँव के निर्णायक फैसलों में अनुभवी लोगों की आज्ञा, सिफ़ारिशों को खास प्रधानता दी जाती है । जीवन के हर मोड पर कब, कहाँ और कैसे ? इन प्रश्नों के उत्तर में बड़े बुजुर्गो की भूमिकाएँ बहुत सराहनीय मानी जाती है, इस लिए ग्राम पंच की रचना में आगेवान जूथ अनिवार्य बन जाता है, उनकी शिकायतों के बिना मुखिया निर्णय नहीं ले सकता । संक्षेप में प्रत्येक आदिवासी गाँवों में ये ग्राम पंच रचना के महत्व के अंग माने जाते हैं ।

(५) फूंडारी :

ये स्थान रजवाड़ाओं के समय में प्रचलित था । पहले गाँव की संपूर्ण ज़िम्मेदारी इनके दायरे में थी । एक तरह देखा जाये तो ये गाँव का मुखिया ही था । रजवाड़ा और ब्रिटिश हुकूमत के कार्यकाल में इनका स्थान होने के कारण साल में एकबार उनको को पितल की थाली, गिलास, लोटे, चाँदी के सिक्के, चेइन, हाथ में पहनने के लिए चाँदी के कड़े आदि भेट स्वरूप या इनाम के तौर पर दिया जाता था । किसी -किसी गाँव के फूंडारी राजाओं के साथ थे, उनको -इनके परिवार को आज भी सालियाणा (खूटी) के रूप में होली के त्यौंहार पहले डांग दरबार में रुपया और साल से सम्मानित किया जाता है । इस तरह डांग के पाचों राजवी, दीवान (सिपाई) और प्रत्येक गाँव के मुखिया, कारभारी को स्टील की थाली, लोटे, गिलास आदि महामहिम राज्यपाल, जिले के प्रभारी (कलेकटर) के हाथो डांग दरबार में सम्मानित करने की प्रथा आज भी बरकरार रही है ।

पंचायत के महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार है ।

- छोटे दीवानी या फोजदारी झगड़ों का निपटारा,
- गाँव के पर्वो का कार्यक्रम तैयार करना,

- गाँव मे बीमारी फैलना, पालतू जानवरों की बीमारी, खेती-फसल में नुकशानी आदि में धार्मिक पूजा-पाठ की तिथि निर्धारित करना और संस्कार सम्पन्न करना,
- सार्वजनिक कार्य के लिए प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाले चन्दे की राशि तय करना,
- किसी के विरुद्ध आगे शिकायत किए जाने से पूर्व मामले पर विचार करना आदि ।
- इन समाजों में कोई लिखित बंधारण नहीं होता है, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उन्हे ध्यान में रखकर निर्णय करने का प्रयास किया जाता है ।

संक्षेप में उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि, परिवर्तन की नई शक्तियों ने गाँवों में विकास किया है । इसलिए पंचायत में अब सर्वसम्मति के बजाय बहुमत से निर्णय लेना पड़ता है । अपेक्षाकृत धनी व्यकित भी पंचायत का निर्णय मानने में आना-कानी करने लगे है । इस सबसे पंचायत की सत्ता थोड़ी-सी कमजोर हुई है ।

संदर्भसूचि :

- डॉ॰ पवार.बी.एल. : आदिवासियों में धर्मांतरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, पीएच.डी.शोध प्रबंध, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, २०१०
- नायक छोटुभाइ : मेरी आत्मकथा, अप्रकाशित आत्मकथा की हस्तप्रत, आहवा-डांग.
- वाढु डाहयाभाई : दक्षिण गुजरात के आदिवासियों का लोकसाहित्य, गुजरात दीपावली विशेषांक, १९९०
- गुजरात आदिवासी संस्कृति : डांग जिले माहिती आयोग, गुजरात राज्य, गांधीनगर.
  जिले की आंकडाकीय रूपरेखा : २०११ डांग जिले पंचायत, आहवा-डांग।